

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ख.कं. / 2019 अपील

आपील-0396/2019/सिंगरौली/25348

कलेक्टर, सिंगरौली
दिनांक 13-3-19
प्रारम्भिक सर्कल हेतु
दिनांक 25-3-19

रामदीन पुत्र शारदा प्रसाद बैस
निवासी ग्राम कनई तहसील देवसर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
दिनांक 13-3-19

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन

..... प्रत्यर्थी

मुकुशमाशुमि
13-3-19 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 077/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2019 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि, ग्राम कनई तहसील देवसर में स्थित आराजी ख.कं. 312/2 रकवा 1.52 है. ख.कं. 1307/1 रकवा 9.00 एकड़ ख.कं. 1358/17 रकवा 1.70 एकड़ भूमि अपीलार्थी की पुस्तैनी स्वत्व आधिपत्य की भूमियां है। वर्ष 1987-88 में वाद भूमियां बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के म.प्र. शासन अंकित कर दी गई जिसमें सुधार बावत अनुविभागीय अधिकारी देवसर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-396/2019/सिंगरौली/भू.रा.

रामदीन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-04-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत । अपीलार्थी की ओर अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं शासकीय अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित हुए । अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा इस अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी अभिभाषक के निवेदन पर यह अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जाती है ।</p> <p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	